उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1
संख्या-12/2021-79-बी-1-2021
लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

कार्यालय -ज्ञाप

विधायी विभाग में नव तैनात श्री मनोज कुमार सिंह।।।, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी के कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप शासकीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से विधायी विभाग के अधिकारियों के मध्य कार्य बंटवारा विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1241/79-वि-20-48/05, दिनांक 11 अगस्त, 2020 को अवक्रमित करते हुए विधायी विभाग में तैनात अधिकारियों (विशेष सचिवों) के मध्य निम्नानुसार कार्य आवंटित किया जाता है :-

प्रमुख सचिव, विधायी

1- निम्नलिखित विभागों का प्रभार एवं प्रशासनिक नियंत्रण।
   (1) विधायी अनुभाग-1
   (2) विधायी अनुभाग-2
   (3) भाषा अनुभाग-5
   (4) भाषा अनुभाग-6
2- विधायी प्रस्तावों एवं उनकी प्रक्रिया के विषय में अनुदेश जारी करना।
3- विधेयकों/अध्यादेशों का अन्तिम विधीक्षण।
4- राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति/अनुदेश प्राप्त करना।
5- समस्त कार्य जो प्रवृत्त आदेश द्वारा अन्य किसी अधिकारी को आवंटित नहीं है।

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (श्रीमती वन्दना सिंह)

1- विधायी अनुभाग-2 का प्रभार एवं समस्त कार्य।
2- निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिहित विधायन (अंग्रेजी आलेखों) का अन्तिम विधीक्षण:-
   (1) परिवहन विभाग
   (2) समाज कल्याण विभाग
   (3) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
   (4) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
   (5) महिला एवं बाल विकास
   (6) लोक निर्माण विभाग
   (7) पंचायती राज
   (8) सिंचाई, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
   (9) गृह विभाग एवं कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग गृह वीजा एवं पासपोर्ट
   (10) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
   (11) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन तथा भूतत्व खनिकर्म विभाग
   (12) आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
   (13) सहकारिता विभाग
   (14) आबकारी विभाग
   (15) खाद्य एवं रसद विभाग
   (16) श्रम विभाग
   (17) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
(19) राजस्व विभाग
(20) नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
(21) न्याय, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
(22) बैंकिंग विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, संस्थागत वित्त तथा राज्य कर विभाग

3- उक्त विभागों के अभियोजन सम्बन्धी आलेखों का विधीक्षण ।

5- उक्त विभागों से सम्बन्धित विधेयक/अध्यादेश सम्बन्धी विधायी प्रस्तावों का प्रारम्भिक रूप से निस्तारण/विधीक्षण ।

6- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा विधीक्षित अंग्रेजी आलेखों के हिन्दी रूपान्तर का अन्तिम विधीक्षण विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा किया जायेगा।

7- कार्मिक नियमावली कोष्ठक से सम्बन्धित विभागों की सेवा नियमावली के हिन्दी आलेख का अन्तिम विधीक्षण।

8- विधायी विभाग की वेबसाइट के अपडेशन का कार्य, जिसमें विधायी प्रलेखों, अधिनियमों, महत्वपूर्ण शासनादेशों आदि को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने से सम्बन्धित समस्त कार्य एवं केन्द्र सरकार की वेबसाइट पर विधायी प्रलेखों यथा अधिनियमों आदि को अपलोड करने का समस्त कार्य विधायी अनुभाग-2 द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण श्रीमती वन्दना सिंह, विशेष सचिव द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

9- श्रीमती वन्दना सिंह के लिंक अधिकारी श्री सुरेश कुमार शर्मा होंगे ।

10- प्रमुख सचिव, विधायी द्वारा आवंटित किसी भी विभाग का विधायी कार्य।

11- राज्यपाल/राष्ट्रपति की अनुमति तथा निर्देश।

<u>विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (श्री मनोज कुमार सिंह-III)</u>

1- भाषा अनुभाग-5 व 6 का प्रभार एवं समस्त कार्य।

2- निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिहित विधायन (अंग्रेजी आलेखों) का अन्तिम विधीक्षण:-

(1) सैनिक कल्याण विभाग
(2) अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग
(3) युवा कल्याण विभाग
(4) पशुधन एवं मत्स्य विभाग
(5) समन्वय अनुभाग (ग्राम्य विकास एवं कार्याक्रम कार्यान्वयन विभाग)
(6) प्रशासनिक सुधार विभाग
(7) संस्कृति विभाग
(8) सार्वजनिक उद्यम विभाग
(9) धर्मार्थ कार्य विभाग
(10) बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग
(11) लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
(12) खेल विभाग
(13) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
(14) सामान्य प्रशासन विभाग
(15) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग
(16) वाह्य सहायतित परियोजना विभाग
(17) भाषा विभाग
(18) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद
(19) पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
(20) राष्ट्रीय एकीकरण विभाग
(21) एन0आर0आई0 विभाग
(22) क्षेत्रीय विकास विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(23) दुग्ध विकास विकास
(24) सचिवालय प्रशासन विभाग

3- उक्त विभागों के अभियोजन सम्बन्धी आलेखों का विधीक्षण।
4- उक्त विभागों से सम्बन्धित विधेयक/अध्यादेश सम्बन्धी विधायी प्रस्तावों का प्रारम्भिक रूप से निस्तारण/विधीक्षण।
5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री मनोज कुमार सिंह।।। द्वारा विधीक्षित अंग्रेजी आलेखों के हिन्दी रूपान्तर का अन्तिम विधीक्षण विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा किया जायेगा।
6- श्री मनोज कुमार सिंह।।। के लिंक अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंह होंगी ।
7- प्रमुख सचिव, विधायी द्वारा आवंटित किसी भी विभाग का विधायी कार्य।

<u>विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी (श्री सुरेश कुमार शर्मा)</u>

1- विधायी अनुभाग-1 का प्रभार एवं विधायी अनुभाग-1 द्वारा व्यवहृत होने वाले समस्त कार्य।
2- उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
3- विधायी विभाग से सम्बन्धित रिट याचिकाओं का कार्य।
4- प्रतिनिहित विधायन समिति तथा उनकी संस्तुतियॉ ।
5- प्रमुख सचिव द्वारा आवंटित विधेयकों/अध्यादेशों का आलेखन एवं अन्य कार्य।
6- असरकारी विधेयकों/संकल्पों का परीक्षण।
7- विभागीय वाहन का प्रभार।
8- निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिहित विधायन (अंग्रेजी आलेखों) का अन्तिम विधीक्षण:-
9- उक्त विभागों के अभियोजन सम्बन्धी आलेखों का विधीक्षण।
(1) हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग
(2) परती भूमि विकास विभाग
(3) चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
(4) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग
(5) रेशम विभाग
(6) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग
(7) सतर्कता विभाग
(8) प्रोटोकाल एवं मुख्यमंत्री कार्यालय
(9) निर्वाचन विभाग
(10) वन विभाग
(11) नियोजन एवं राज्य योजना आयोग
(12) ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग
(13) उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा
(14) प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वैकल्पिक ऊर्जा तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विकास
(15) सूचना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
(16) राज्य सम्पत्ति
(17) होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा व राजनैतिक पेंशन
(18) गोपन विभाग
(19) ऊर्जा विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
(20) कृषि एवं कृषि शिक्षा अनुसन्धान विभाग
(21) कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग
(22) वित्त एवं संस्थागत वित विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- उक्त विभागों से सम्बन्धित विधेयक/अध्यादेश सम्बन्धी विधायी प्रस्तावों का प्रारम्भिक रूप से निस्तारण/विधीक्षण।

11- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा विधीक्षित अंग्रेजी आलेखों के हिन्दी रूपान्तर का अन्तिम विधीक्षण विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी श्री मनोज कुमार सिंह।।। द्वारा किया जायेगा ।

12- अध्यादेशों/अधिनियमों के प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य।

13- विधेयकों के उद्देश्य एवं कारण, प्रतिनिहित विधायन के ज्ञापन तथा रूपभेदों का ज्ञापन एवं अध्यादेशों के ज्ञापन पत्र तैयार करना।

14- केन्द्रीय एवं राज्य विधि आयोग की संस्तुतियाँ।

15- कार्मिक नियमावली कोष्ठक से सम्बन्धित विभागों की सेवा नियमावली के अंग्रेजी आलेख का अन्तिम विधीक्षण।

16- राज्यपाल/राष्ट्रपति की अनुमति तथा निर्देश।

17- विधायी प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों का अनुदेश।

18- निरसन तथा संशोधन विधेयक।

19- विधायी विभाग के आई0जी0आर0एस0 से सम्बन्धित प्रकरण तथा इण्डिया कोर्ड पोर्टल से सम्बन्धित समस्त कार्य।

20- श्री सुरेश कुमार शर्मा के लिंक अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह।।। होंगे ।

21- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग द्वारा आवंटित किसी भी विभाग का विधायी कार्य।

<u>निर्देश :-</u>

1- जिन विभागों के प्रतिनिहित विधायन के हिन्दी व अंग्रेजी आलेखों का आवंटन किसी भी अधिकारी को नहीं किया गया है ऐसे विभागों के अंग्रेजी आलेखों का विधीक्षण विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, श्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगें तथा हिन्दी आलेखों का विधीक्षण श्रीमती वन्दना सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी करेंगीं ।

2- जिस अधिकारी ने अध्यादेश का आलेखन किया हो, सामान्यत: वही उसके प्रतिस्थानी विधेयक का आलेखन करेगा ।

3- जिन मामलों में विधीक्षण अधिकारी की राय न्याय विभाग से भिन्न हो उन मामलों को प्रमुख सचिव को अन्तिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

4- प्रतिनिहित विधायन के हिन्दी आलेखन में यदि असुविधा न हो और अंग्रेजी आलेख में कुछ परिवर्तन आवश्यक प्रतीत हो तो दोनों अधिकारी विचार-विमर्श कर लेंगे फिर भी यदि आवश्यक हो तो प्रमुख सचिव को सन्दर्भित करेंगे ।

5- किसी विधेयक से सम्बन्धित प्रवर समिति में वह अधिकारी भाग लेगा जिसने विधेयक का आलेखन किया हो ।

6- शासन के सभी विभागों से प्राप्त होने वाले विधेयक/अध्यादेश सम्बन्धी विधि प्रस्ताव प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उसका संवैधानिक परीक्षण/आलेखन तथा निस्तारण किया जायेगा।

ह0

(अतुल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- श्री राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को श्री राज्यपाल के सूचनार्थ।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- सम्बन्धित अधिकारीगण।
8- विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के समस्त अनुभाग एवं समस्त अधिकारी।
9- अनु सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- विधायी अनुभाग-2
11- भाषा अनुभाग-5/6
12- विधि परामर्शी पुस्तकालय।
13- कार्मिक नियमावली सेल।
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(दिलीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।